फा.सं. 4-7/2011-विस्तार

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 17 अक्तूबर, 2011

रिक्ति परिपत्र

विषय: विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त निदेशक(फार्म सूचना इकाई) के पद को भरा जाना।

विस्तार निदेशालय में सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, गैर मंत्रालयी में 15600-39100 पे बैंड 3 +6600 रुपये (ग्रेड पे) में संयुक्त निदेशक(फार्म सूचना इकाई) का एक पद केन्द्र अथवा राज्य सरकारों अथवा के.शा.प्रदेशों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों अथवा अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी एवं सांविधिक संगठनों के अधीन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति(लघु अवधि अनुबन्ध शामिल है) पर भरा जाना प्रस्तावित है ।

(क)(i) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) मूल काडर अथवा विभाग में (रुपये 15600-39100) पे बैंड 3 + ग्रेड पे 5400 रुपये के अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) मूल काडर अथवा विभाग में पे बैंड-2(9300-34800 रु.)+ ग्रेड पे 4600 रुपये के अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:-

अनिवार्य

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि अथवा कृषि विस्तार में परास्नातक डिग्री

(ii) फार्म संचार सहित कृषि विस्तार में 5 वर्ष का अनुभव

वांछनीय

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता अथवा वृहत संचार में डिग्री अथवा डिप्लोमा

(ii) कृषि सूचना, वृहत मीडिया, फार्म विस्तार साहित्य, कृषि प्रदर्शनियों, कृषि एवं कृषि फिल्म पर विषय से संबंधित दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण से सम्बद्ध कार्य को देखने का अनुभव

2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा अथवा दिनांक जबसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधार संशोधित संरचना को लागू किया गया है को संगत ग्रेड पे अथवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित लागू वेतनमान में की गई सेवा माना जायेगा सिवाय उन मामलों में एक सामान्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में पूर्व संशोधित वेतन के एक से अधिक का आमेलन हुआ है विस्तारित है और जहां यह लाभ केवल विस्तारित है और जहां यह लाभ

केवल उस पद(दों) हेतु होगा जिसके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापना ग्रेड है ।

3. नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के का0ज्ञा0सं0 6/8/2009-स्था.(वेतन II) के अनुसार इस पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने अथवा अपने पूर्व पद से संबंधित ग्रेड वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (डयूटी)भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा ।

4. इच्छुक और पात्र अधिकारियों, जिन्हें उनका चयन होने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन(तीन प्रतियों में) संलग्न प्रोफार्मा में पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो/एपीएआर सहित उचित माध्यम से इस विज्ञापन के एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर अवर सचिव(विस्तार) क0स0 25-ए, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित किए जाएं । **आवेदन अग्रेषित करते समय प्रायोजित संगठनों को यह सत्यापित तथा प्रमाणित करना चाहिए कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त विवरण सही है ।**

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किए जाने की आवश्यकता है ।

(i) सतर्कता संबंधित निकासी ।

(ii) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र ।

(iii) पिछले दस वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति के संबंध में विवरण ।

(iv) पिछले पांच वर्षो अर्थात 2006-07 से 2010-11 की एसीआर/एपीएआर रिपोर्ट की छाया प्रतियां जिसका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, जो भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से कम का ना हो । यदि किसी कारण से किसी अधिकारी की किसी विशिष्ट वर्ष अथवा वर्ष की अवधि की एसीआर/एपीएआर नहीं लिखी गई है तो पिछले वर्ष की संगत अवधि की एसीआर/एपीएआर के साथ उस अवधि के लिए ‘’ कोई रिपोर्ट नही प्रमाणपत्र (एनआरसी) ’’ संलग्न करें।

5. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त अथवा अद्यतन गोपनीय रिपोर्टों अथवा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और सतर्कता निकासी के बिना प्राप्त आवेदनों अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(आर. एस.वर्मा)
अवर सचिव(विस्तार)
दूरभाष: 23387533

प्रति प्रेषित:

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली ।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (ई.ओ.आई.का कार्यालय), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
4. कृषि एवं सहकारिता विभाग के सभी अधिकारी आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजें ।
5. कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय(डीएच,पीसी), नई दिल्ली ।
7. स्थापना- ।/।। अनुभाग ।
8. स्थापना-।।। नोटिस बोर्ड के लिए ।
9. प्रशासन निदेशक और निदेशक(एफ। इकाई), विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली ।
10. एनआईसी(कृषि एवं सहकारिता विभाग की वेबसाईट पर लोड करने के लिए) ।
11. गार्ड फाईल ।

(आर. एस.वर्मा)
अवर सचिव(विस्तार)
दूरभाष: 23387533

<u>जीवन वृत्त प्रपत्र</u>

1. नाम व पता बड़े अक्षरों में पद(दूरभाष सं; सहित):
2. जन्म तिथि(ईस्वी सन):
3. केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:
4. शैक्षणिक अर्हताएं: क्या उक्त पद के लिए अपेक्षित व अन्य अर्हताएं रखते हैं(यदि किसी अर्हता को योग्यता के नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समान माना गया है तो इसके लिए प्राधिकारी को विवरण दें)

	अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी की अर्हता/अनुभव
अनिवार्य:		
(1)		
(2)		
(3)		
वांछनीय:		
(1)		
(2)		
(3)		

5. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में क्या आप पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं ।

6. क्या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण करके अल्पावधिक करार सहित/या स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त के लिए आवेदन कर रहे हैं ।

7. काल क्रमानुसार रोजगार का विवरण :-

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान और मूल वेतन	किए गए कार्य का स्वरुप

----

8. वर्तमान रोजगार का स्वरुप अर्थात तदर्थ या अस्थाई या स्थाईवत या स्थायी:

9. यदि मौजूदा रोजगार प्रतिनियुक्ति /संविदा के आधार पर धारित हो तो उल्लेख कीजिए:

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि:

(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं:

10. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण । कृपया उल्लेख करें कि क्या :-

(क) केन्द्रीय सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) के.शा. प्रदेश

(घ) सार्वजनिक निकाय

(ङ) कृषि विश्वविद्यालय

(च) मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान

(छ) परिषद

(ज) अर्धसरकारी

(झ) स्वायत्त संस्थाएं

(ञ) सांविधिक संगठन

11. कृपया बताएं कि उसी विभाग में कार्यरत हैं और सम्पोषक श्रेणीमें हैं या सम्पोषक श्रेणी के सम्पोषक में हैं ।

12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां तो वह तारीख जबसे संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें ।

13. इस समय आहरित की जा रही प्रतिमास कुल परिलिब्धयां:

14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहेंगे ।

15. क्या अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति से हैं :

16. टिप्पणियां:

प्रति हस्ताक्षर:
(नियोक्ता)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पता------------------

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है और पिछले10 वर्षों के दौरान कोई बड़ा या छोटा दंड नहीं दिया गया है तथा उसकी निष्ठा संदेह से परे हैं ।

विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)